

M. 439  
2/21  
27/10/05

R-11296  
14/10/04

विजयपुरी सं. डी. एल. - 33004/99

REGD. NO. D. L. - 33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453]  
No. 453]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926  
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

P.O - 450  
km - 30  
DEPT - 250  
CP/B - 220

पुरा किया

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2004

प्रभारी  
रा. वि. एकक

सा.का.नि. 676(अ).—केन्द्रीय सरकार विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवेदन ग्रहण करने और निपटारों के लिए प्रक्रिया नियम, 2004 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रवेश के लिए आवेदन करना और उसे ग्रहण करना :

(1) कोई आवेदन धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सम्बोधित पत्र और व्यावहारिक रूप में पेश किया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत पावती सहित डाक द्वारा उसे भेजा जाएगा।

(2) आवेदन में संक्षिप्त रूप में संगठन को हटाए जाने का आधार दिए जाएंगे।

3. आवेदन का निपटान :—

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर विचार और निगटान किया जाएगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार को यह समझाने का अवसर मिलता है कि धारा 36 की उपधारा (1) के अधीन फाइल किए गए आवेदन के किसी मामले में त्रुटि है, केन्द्रीय सरकार, ऐसे आवेदन को निरस्त करने से पूर्व, यथास्थित सम्बद्ध संगठन या व्यक्ति को बुलाएगी और 30 दिन की अवधि के भीतर त्रुटि को दूर करने का निर्देश देगी। यदि वह ऐसा करता है तो आवेदन पर विचार किया जाएगा।

[फा. सं. I 17014/72/2004-आईएम-VII]

एल.सी. गोयल, मंत्रालय सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2004

**G.S.R. 676(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Sub-section (2) of Section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Procedure for Admission and Disposal of Application Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Making and admission of application :**

(1) An application under Sub-section (1) of Section 36 shall be addressed to the Secretary to the Government of India in the Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi and presented personally or forwarded to him by registered post with acknowledgement due.

(2) The application shall set forth concisely the grounds for removal of the organization.

**3. Disposal of application :—**

(1) The application made under Sub-section (1) of Section 36 of the Act shall be considered and disposed of by the Central Government within a period of forty-five days from the date of receipt of application.

(2) If the Central Government is satisfied that the application filed under Sub-section (1) of Section 36 is defective in any form, the Central Government shall, before rejecting such application, call upon the concerned organization or the person, as the case may be, to remove the defect within a period of thirty days and if he or it does so, the application shall be considered.

[F. No. 1-17014/72/2004-IS-VII]

L. C. GOYAL, Jt. Secy.